भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/119/2021/एफ0सी0/1260 दिनांकः 23/12/2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद – पिथौरागढ़ के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचुला के, दोबांट रांथी हल्का वाहन मार्ग के निर्माण हेतु 5.175 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (online no. FP/UK/Road/67235/2021)

सन्दर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1393/FP/UK/Road/67235/2021 दिनांक 06-12-2021

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेः–

1. Online portal के Part I para C पर upload की गयी KML file पर केवल लाभान्वित हाने वाले गांव की स्थिति ही अंकित की गई है। प्रस्तावित alignment, alternate alignment if any एवं existing roads को स्थिति अंकित नहीं की गई है।
2. हालांकि CA क्षेत्र DSS analysis मे उपयुक्त जान पड़ता है, किन्तु प्रस्तावित CA क्षेत्र की समुंद्र तल से ऊँचाई एवं अन्य कारणों को देखते हुये सम्बन्धित वनाधिकारी (लगभग 3531 मी0 asl पर) सी0ए0 हेतु स्थल की उपयुक्तता को पुनः review/ reassess कर comments प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि प्रस्तावित कार्य में पूर्व मार्ग जो कि 3–4 मी0 चौड़ाई का है का extension किया जाना है प़रन्तु land schedule से स्थिति स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्व निर्मित मार्ग की स्वीकृति FCA, 1980 में ली गयी थी? क्या land schedule में चौड़ाई 9.00 मी0 पूर्व चौड़ाई के साथ है या अतिरिक्त? इस विषय पर स्थिति को स्पष्ट करने का कष्ट करें।
4. Online part I के para B 2.4 में मलबा निस्तारण हेतु 0.99 है0 भूमि को वन क्षेत्र में दर्शाया गया है, जबकि land schedule एवं मलबा निस्तारण योजना के अनुसार मलबा निस्तारण हेतु नाप भूमि 0.2 है0 का चयन किया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
5. प्रस्तावित road alignment की nearest PAs से दूरी 1.6 किमी0 है जिसके लिये यद्यपि CWLW द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त परियोजना के लिये WL clearance की आवश्यकता नहीं है परन्तु उक्त मार्ग के बनाये जाने से wildlife पर कोई adverse impact है या नहीं तथा किसी तरह के animal passage plan की आवश्यकता है या नहीं को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उपरोक्त त्रुटियों की पूर्तता के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी एवं यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,

23/01/15

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अय्यर)
उप महानिरीक्षक, वन (के0)